अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

5)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री गिरीश पारीक श्री विनोद जैन/सी0पी0 पाराशर 01	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
14.01.2026	कुलदीप सिंह बनाम देवीलाल वगैरह (2026/2) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 16.01.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
16.01.2026	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। वकुलाय उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 14.01.2026 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि विवादित आराजीयात का सम्वत 2011 को पर्चा अपीलांट के पूर्वज के नाम आया था तथा उसके बाद आज दिनांक तक अपीलांट के पूर्वज एवं अपीलांट निरंतर खातेदार काश्तकार रहे है, रेस्पोडेन्टस का नाम न तो कभी भी राजस्व रिकार्ड में रहा है और ना ही उनका कब्जा विवादित आराजी पर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से परे जाकर निर्णय दिनांक 10.11.2025 पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व तथा प्रभाव में आने के बाद लगातार अपीलांट के पूर्वज तथा अपीलांट रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रहे है किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये पाबंद किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 10.11.2025 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखी जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सुनकर अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये गये है, यदि अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरवी करनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नही है। वादी का वादग्रस्त आराजीयात में हक निहित है, जिसका निस्तारण बाद साक्ष्य एवं सुनवाई मूल वाद में तय होगा तथा वादग्रस्त आराजीयात की यथास्थिति बनाये रखे जाने से वाद बाहुल्यता भी समाप्त होती है। ऐसी स्थिति में अपील अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध पेश किये जाने से इसी स्तर पर खारिज की जावें। अभिभाषक अपीलांट ने रिब्टल में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जावें। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील की पोषणीयता के संबंध में की गई बहस पर मनन किया एवं अपील का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2025 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। उक्त आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में पारित किया है जो कि अंतरिम आदेश है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस संबंध में हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 2014	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार---

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

2/2026/225 कुलदीप सिंह v/s उदीलाल आदि

क्रमशः..	(1) डीएनजे (राज0) पेज संख्या 35 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित कोई भी आदेश चाहें वो अंतरिम हो या अंतिम अपील योग्य है। हमने 2021 आर0बी0जे0 पेज 222 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955– धारा 221 व 225–एस0डी0ओ0 द्वारा पारित अन्तरिम आदेश अपील योग्य है इसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है अतः अपील कानूनी रूप से न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय है। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अप्रार्थी/अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजीयात पर वादी/अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है ना ही वर्तमान में कोई कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के भी प्रार्थीया/वादीया का वाद भी चलने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा इस सबंध में किये गये कथन पर हमारा मत यह है कि वादीया/प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजीयात में हक–हिस्सा है अथवा नहीं ध इसका निर्धारण तो बाद साक्ष्य मूल वाद में तय होगा किन्तु एक रिकार्डेड खातेदार जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व तथा आने के बाद लगातार राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज है उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये पावंद किया जाना भी न्यायोचित नहीं है। इस संदर्भ माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा समय–समय पर अनेको आदेश पारित किय गये है तथा आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1410 में यह प्रतिपातिद किया गया है कि :– No T.I. can be granted against the recorded khatedar. आर0आर0डी0 1988 पेज 112 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि बिना दूसरे पक्षकार को सुने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उक्त दोनो ही न्यायिक नजीर हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। **अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 212/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश करने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

Scanned with CamScanner

7|1

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर जिला अजमेर राज0

श्री गिरीश पारीक एड० ने अपील पेश की अपील बाद जांच रिपोर्ट पेश हो।
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
01/01/26

02/2026
01/01/26

राजस्व अपील संख्या ......02. /26

1. कुलदीप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. गणेश कंवर पत्नी स्व0 रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. गोपाल सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. पृथ्वीराज सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
5. प्रकाश कंवर पत्नी स्व0 दुर्गादास जाति राजपूत निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
6. भवानी सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
7. त्रिवेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र दुर्गादास जाति राजपूत निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

-- अपीलाण्ट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. जयनारायण पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

रेस्पोडेंट/आवश्यक पक्षकार

Scanned with CamScanner

3. छीतरमल पुत्र राधेश्याम जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. नन्छी उर्फ नानची पत्नी राधेश्याम जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
5. पुष्पा पुत्री राधेश्याम जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
6. सुनिता पुत्री राधेश्याम जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
7. जगदीश पुत्र सुवालाल जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
8. भैरूलाल पुत्र चन्दालाल जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
9. भंवरलाल पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
10. मोहनलाल पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
11. रूपनारायण पुत्र सुवालाल जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
12. राधेश्याम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
13. रामप्यारी पत्नी सुवालाल जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
14. रामेश्वर पुत्र चन्दाराम जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
15. लालचन्द पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
16. सीताराम पुत्र चन्दाराम जाति कुम्हार निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

Scanned with CamScanner

17. हनुमान प्रसाद पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी वोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

18. तहसीलदार महोदय तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

19. उपपंजीयक महोदय मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

-- तरतीबी पक्षकार

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [redacted] मौजमाबाद
जिला जयपुर दिनांक 10/11/2025, प्रार्थना-पत्र संख्या
212/2025 उनवानी देवीलाल बनाम छीतरमल वगै0 में
प्रार्थी/अपीलार्थी की आराजीयात पर बगैर सुने ही एकपक्षीय स्थगन
आदेश जारी कर दिया के विरूद्ध

श्रीमानजी,

अपीलाण्ट की ओर से अपील निम्न तथ्यों के साथ सादर प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनरथ न्यायालय में एक वाद बावत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 17 इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 984 के आराजी खसरा नम्बर 951 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 951/2966 रकवा 0.3700 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 464 के खसरा नम्बर 839 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद व देवला तहसील मौजमावाद जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 951 के पूर्व साविक खसरा नम्वर 1194 व सम्वत 1997 में खसरा नम्बर 1054 दर्ज राजस्व रिकार्ड था एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 951/2966 व 839 के पर्चा सैटलमंट सम्वत 2011 में साबिक खसरा नम्बर 1200 व 1201 थे जिसका सम्वत 1997 में खसरा नम्बर 1059 था जिसको काटकर सम्वत 1997 में 1058 कर दिया। उक्त भूमि सम्वत 1997 में प्रार्थीगण के दादा पूर्वज वलदेव के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसके वर्तमान में दर्ज खातेदारी खसरा नम्वर 951 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 951/2966 रकवा 0.3700

Scanned with CamScanner